छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

// न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग)//

रा.प्र.क./202501231600036/अ–62/ वर्ष 2024–25

श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा पिता घासीराम वर्मा
निवासी ग्राम बचेडी तह बेरला
जिला–बेमेतरा (छ0ग0) ————————आवेदक

–:विरूद्धः–

छ0ग0 शासन

आदेश

(पारित दिनांक 24.01.2025)

आवेदक श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा पिता घासीराम वर्मा निवासी निवासी निवासी ग्राम बचेडी तह बेरला जिला–बेमेतरा (छ0ग0) द्वारा अपने भूमिस्वामी हक कि भूमि ग्राम बचेडी तह बेरला जिला बेमेतरा मे स्थित खसरा नं 260 रकबा 2.60 हे भूमि पर स्थित 39 नग सागौन वृक्षो को कृषि कार्य में असुविधा होने के करण की कटाई हेतु अनुमति बाबत् आवेदन पेश किया गया।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार दिनांक 13.11.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त खसरा नं 260 में 39 सागौन वृक्ष स्थित है एवं भूमि उपेन्द्र कुमार वर्मा पिता घासीराम वर्मा के नाम पर दर्ज है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी साजा के प्रतिवेदनानुसार उक्त स्थल पर 39 सागौन वृक्ष (वृक्षो की सूचि संलग्न है) स्थित है, जो काटने योग्य है। जिसे काटने की अनुमति के संबंध में छाती गोलाई सहित सूची तैयार कर यदि नियमानुसार कटाई अनुमति दी जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ती नही है।

अतः प्रकरण में संलगन दस्तावेज एवं राजस्व निरीक्षक कोदवा एवं कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा, परिक्षेत्र, साजा के प्रतिवेदनमय पंचनामा से का अवलोकन किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर कमांक 61/ दिनांक 11फरवरी 2022 के अनुसार कमांक एक 4–34 सात–1/2021 छ.ग.भू.रा. सहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा –2 के खण्ड 61 एवं 62 सहपठित धारा 240एवं 241 द्वारा कटाई की अनुमति देने का प्रावधान है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

उपरोक्तानुसार भूमि ग्राम बचेडी तह बेरला जिला बेमेतरा मे स्थित खसरा नं 260 रकबा 2.60 हे भूमि पर स्थित 39 (वृक्षो की सूचि संलग्न) नग सागौन वृक्षो को निम्नशर्तो के तहत् कटाई हेतु अनुमति दिया जाता है।

शर्ते :-

1.आवेदक उक्त 39 नग वृक्षों की कटाई के पूर्व काटे जाने वाले वृक्ष की यदि उम्र-10 वर्ष से कम है, तो प्रति वृक्ष पर न्यनतम 10 वृक्ष एवं अधिक उम्र वाले वृक्ष है, तो उसकी प्रति वृक्ष आयु की संख्या में वृक्ष सुरक्षित स्थान में लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा इन वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय आवेदक द्वारा किया जावेंगा एवं उक्त लगाये गये वृक्षों के रख-रखाव एवं उनको जीवित रखने का दायित्व भी आवेदक का ही होगा अथवा प्रत्येक वृक्ष 150.00 रू. के मान से प्रस्तावित वृक्षों की दूगनी संख्या की राशि संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कराया जावें।

2.राजस्व एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया जावेगा तथा प्रश्नाधीन मार्ग पर प्रभावित वृक्षों को वन विभाग बेमेतरा के माध्यम से कटाई परिवहन एवं बिक्री कराई जावेगी। वृक्ष कटाई सवे लेकर वन विभाग के डिपो में रखने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही का विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जावें।

3.वन मण्डलाधिकारी बेमेतरा वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग बेमेतरा के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग बेमेतरा द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेरला जिला-बेमेतरा
अनुविभागीय अधिकारी(रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /616/अ0वि0अ0/2025 बेरला दिनांक 24/1/25

प्रतिलिपिः-

1. वन मण्डलाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
अनुविभागीय अधिकारी(रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा
बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)